

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर
मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने चिकित्सा शिक्षा भवन गोविन्द मार्ग जयपुर
दूरभाष 0141-2601727 ई-मेल addrir.dme-rj@gov.in

प.7 (86)/CM/HM/ Budget / डीएमई / एके. / 2015 / लूज / 806 दिनांक 18/02/2022

चैयरमेन
नीट स्टेट पी.जी. काउन्सिलिंग बोर्ड-2021 एवं
राज0स्वा0 विज्ञान विश्वविद्यालय
कॉलेज ऑफ डेन्टल साइन्सेस, जयपुर

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक
मेडिकल कॉलेज
जयपुर / कोटा / अजमेर / बीकानेर / उदयपुर / जोधपुर / झालावाड /
राज0स्वा0वि0वि0 कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्सेस

रजिस्ट्रार,
राज0 स्वा0 विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पी.जी. / सुपर स्पेशियलिटी कोर्स के संबंधित विषयों में
बन्ध पत्र भरने की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:- चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक प.7 (86)/CM/HM/ Budget / डीएमई
/ एके. / 2015 दिनांक 24.2.2015 एवं 3159 दिनांक 7.8.2015 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में निम्नलिखित पी.
जी./सुपर स्पेशियलिटी कोर्स के संबंधित विषयों में सर्विस बन्ध पत्र भरने की अनिवार्यता में शिथिलता
प्रदान की जाती है:-

पी.जी. कोर्स	सुपर स्पेशियलिटी कोर्स
1. एनाटोमी	1. सी.टी. सर्जरी
2. बायोकेमिस्ट्री	2. पीडियाट्रिक सर्जरी
3. फार्माकोलोजी	
4. पी.एस.एम.	
5. फिजीयोलोजी	
6. फोरेन्सिक मेडिसिन	

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गौरव चतुर्वेदी)
अति0निदेशक (प्रशा0)एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव

प.7 (86)/CM/HM/ Budget / डीएमई / एके. / 2015 / लूज / दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री राज. सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज. सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. अति0 निजी सचिव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव अति0 निदेशक (प्रशा0) / (एके) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर।

६०
अति0निदेशक (प्रशा0)एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव